



आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं

प्रलिस के लिये:

[आधार, नागरिकता, भारत नरिवाचन आयोग, नागरिकता अधनियम 1955](#)

मेन्स के लिये:

नीतियों के डज़ाइन और कार्यानवयन से उत्पन्न मुद्दे, आधार के उपयोग के संबंध में चितिएँ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में इस बात पर बल दिया है कि [आधार नागरिकता](#) या जन्मतथिका (Date of Birth- DOB) का प्रमाण नहीं है।

- नए आधार कार्ड एवं पहचान दस्तावेज़ के PDF संस्करणों में एक अधिक स्पष्ट और प्रमुख अस्वीकरण शामिल होना शुरू हो गया है कि **पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतथिका नहीं** तथा सरकारी वभिगों व अन्य संगठनों को इन उद्देश्यों के लिये इसका उपयोग न करने का संकेत दिया गया है।

पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार के उपयोग पर कानूनी स्पष्टीकरण क्या है?

- बॉम्बे उच्च न्यायालय:**
 - महाराष्ट्र राज्य बनाम [भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण \(UIDAI\)](#) मामले, 2022 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार के दायरे और सीमाओं को स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि **आधार केवल पहचान और नविस का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतथिका नहीं**।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय:**
 - भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [नयायमूरत के.एस. पुट्टस्वामी \(सेवानवित्त\) और अन्य बनाम भारत संघ मामले, 2018](#) में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
 - न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि **आधार अधनियम, 2016** की धारा 9 में कहा गया है कि "आधार संख्या या उसका प्रामाणीकरण, अपने आप में, **आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता या अधविस का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा** या इसका प्रमाण नहीं होगा।"
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY):** MeitY ने वर्ष 2018 के एक ज्ञापन में स्पष्ट किया कि आधार "वास्तव में... जन्म तथिका प्रमाण नहीं है", क्योंकि जन्म तथिका आधार आवेदकों द्वारा दिये गए एक अलग दस्तावेज़ पर आधारित है।
- कर्मचारी भवषिय नधिसंगठन (EPFO):**
 - [EPFO](#) जो भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये अनविर्य सेवानवित्त नधिका प्रबंधन करता है।
 - EPFO ने जनवरी 2024 में एक परपित्तर जारी कर जन्मतथिका के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची से आधार को हटा दिया।

आधार

- आधार भारत सरकार की ओर से [भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण \(UIDAI\)](#) द्वारा जारी की गई **12 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या** है। यह संख्या भारत में **कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण** के रूप में कार्य करता है।
- यह **जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी** के आधार पर **व्यक्तियों की पहचान स्थापित** करता है।
- देश में लगातार **छह महीने से अधिक समय** तक रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते वह **18 सूचीबद्ध पहचान पत्रों** में से एक पते का प्रमाण जमा करे।

- वंदिशी नागरकि इसे प्राप्त करने के पात्र हैं यदवि 6 माह से भारत में रह रहे हैं ।
- आधार नंबर नविासियों को उचति समय पर बैकगि, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वभिन्नि सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा ।

आधार के संबंध में क्या चतिाएँ हैं?

- नागरकिता या जन्मतथि के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग:
 - **भारत का नरिवाचन आयोग** स्पष्ट रूप से लोगों को वोट देने के लयि नामांकन हेतु जन्मतथि के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करता है ।
 - आधार के उपयोग के बारे में ये हालयिा स्पष्टीकरण, जो पहचान दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से मुद्रति हैं, इन छूटों पर सवाल उठा सकते हैं ।
- गोपनीयता तथा सुरक्षा:
 - आधार में उंगलियों के नशान, आईरसि स्कैन तथा मुख की छवि जैसी **संवेदनशील वयैकृत्कि जानकारी का संग्रह** तथा भंडारण शामिल होता है जसिसे **डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी तथा अनुवीक्षण का खतरा** बढ़ जाता है ।
- बायोमेट्रकि प्रामाणीकरण:
 - आधार के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने के लयि बायोमेट्रकि सत्यापन की आवश्यकता होती है जो प्रौद्योगिकी की वशि्वसनीयता और सटीकता, बुनयिादी ढाँचे की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं बायोमेट्रकि वफिलताओं के कारण सेवाओं के नरिबाध पहुँच में देरी जैसी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है ।

नागरकिता

- नागरकिता एक **व्यकृत्ति तथा राज्य के बीच** की कानूनी स्थिति तथा संबंध है जसिमें वशिषिट अधिकार एवं कर्तृत्व्य शामिल होते हैं ।
- **वर्ष 1955 का नागरकिता अधनियिम**, नागरकिता प्राप्त करने के पाँच तरीकों का उल्लेख करता है, जसिमें **जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और कषेत्र का समावेश** शामिल है ।
 - यह अधनियिम **समापत्ति, अभाव और स्वैच्छकि तयाग** के माध्यम से नागरकिता के तयाग से भी संबंधति है ।
- भारतीय संवधान का **भाग II नागरकिता** को परभाषति करता है जसिमें **अनुच्छेद 5 से 11** शामिल हैं ।
- नागरकिता **संवधान के तहत संघ सूची** में सूचीबद्ध है तथा इस प्रकार यह संसद के वशिष कषेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ।
- **भारत में जन्म प्रमाण-पत्र** पहचान, आयु तथा भारतीय नागरकिता के प्रमाण के रूप में कार्य कर सकता है ।
 - **जन्म और मृत्यु रजसि्ट्रीकरण अधनियिम, 1969** के अनुसार जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कयिा जाना चाहयि ।

आगे की राह

- **आधार कार्ड पर अद्यतन तथा स्पष्ट अस्वीकरण** के बारे में **जनता, सरकारी वभिागों तथा संगठनों को शकिषति करने के लयि** व्यापक जागरूकता अभयान शुरु करना ।
 - इस तथ्य पर ज़ोर देना का **आधार पूर्ण रूप से पहचान तथा नविास का प्रमाण** है न कि नागरकिता अथवा जन्म तथि की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ ।
- वधिकि, गोपनीयता तथा सुरक्षा चतिाओं पर वचिार करते हुए **आधार की भूमकि एवं अनुमत उपयोग का व्यापक पुनर्मूल्यांकन** करना ।
- आधार डेटाबेस में संग्रहीत संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लयि **सुदृढ़ डेटा सुरक्षा उपायों को कारयानवति** करना ।
- बायोमेट्रकि सत्यापन की **वशि्वसनीयता और सटीकता में सुधार लाने, वफिलताओं तथा बहषिकरणों** की घटनाओं को कम करने के लयि नवीन समाधानों का अन्वेषण करें ।
- आधार प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता और समावेशतिा को बढ़ाने के लयि सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहति करें ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरकिता या अधविास के प्रमाण के रूप में कयिा जा सकता है ।
2. एक बार जारी होने के पश्चात् इसे नरिगत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. सरकार की दो समानांतर चलाई जा रही योजनाओं तथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एक स्वैच्छिक एवं दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार चर्चा कीजिये कि दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं? इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/aadhaar-is-not-a-proof-of-citizenship>

